



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 51/2026

कमल देव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राजेन्द्र प्रसाद यादव, अश्विनी कुमार गुप्ता

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अतुल कुमार दुबे

न्यायालय संख्या – 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. वाद सुना।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों का अनुरोध किया है:

"(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारण को ग्राम पंचायत 40-धनराजपुर, ग्राम पंचायत 39-अहाता, 44-मुस्तफाबाद और ग्राम पंचायत 38-नासिरगंज (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में निहित) के लिए नए सिरे से भौतिक सत्यापन करने और संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए।

(ii) मतदाता सूचियों में संशोधन होने तक इन पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. आगामी पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित अस्थायी मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी, 2026 तक का समय है। यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वह आपत्ति दर्ज करा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकता है, जिस पर आयोग या इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।

4. हमें इस मामले में आगे कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

30 जनवरी, 2026

प्रवीण